SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

माउंटबेटन योजना और ब्रिटिश साम्राज्यवादः एक ऐतिहासिक पुर्नमुल्यांकन

तराना प्रवीन, शोधार्थी, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
तराना प्रवीन, शोधार्थी
E-mail : tarana3586@gmail.comm

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 12/09/2025
Revised on : 12/11/2025
Accepted on : 21/11/2025
Overall Similarity : 00% on 13/11/2025

शोध सार

माउंटबेटन योजना भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक एवं विवादास्पद अध्याय के रूप में दर्ज है। यह योजना जिसे अंतिम वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन द्वारा जून 1947 में प्रस्तुत किया गया, मूलतः ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत से शीघ्रता से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को संचालित करते हुए एक रोडमैप थी। तत्कालीन उग्र सांप्रदायिक हिंसा, बढ़ते राजनीतिक असंतोष और ब्रिटेन के युद्धोत्तर कमजोरी के संदर्भ में यह योजना एक अपरिहार्य राजनीतिक समाधान प्रतीत हुई। इस लेख में उस योजना के पीछे की रणनीति, प्रावधानों जिसमें विभाजन का सिद्धांत एवं भारतीय नेताओं के बीच हो रहे वार्ताओं को शामिल किया गया है तथा इस योजना के क्रियान्वयन के तत्कालीन परिणामों में विस्थापन, सामूहिक सांप्रदायिक हिंसा की त्रासदी और दो नए राष्ट्र के उदय को चिन्हित किया गया है।

मुख्य शब्द

राजनीतिक समाधान, त्रासदी, रोडमैप.

प्रस्तावना

भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक और विवादस्पद क्षणों में से एक 3 जून 1947 था। इस दिन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना पेश की जिसने आधिकारिक तौर पर भारत की आजादी और उसके विभाजन का रास्ता साफ कर दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत एक उबलते हुए राजनीतिक (Pressure Cooker) की स्थिति में था। कैबिनेट मिशन योजना (1946) के विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि भारत से अपनी शक्ति का स्थानांतरण कैसे किया जाए। देश सांप्रदायिक दंगों की एक भयावह लहर से गुजर रहा था

और मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहने के कारण संयुक्त भारत की संभावना तेजी से धूमिल होती जा रही थी। 1 फरवरी 1947 को माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन योजना इसी जटिल और विस्फोटक स्थिति में पैदा हुई एक राजनीतिक समाधान थी, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन को शीघ्रता और गरिमामय ढंग से समाप्त करना था, भले ही उसकी कीमत देश के विभाजन के रूप में चुकानी पड़े।[1]

20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद में भारत के लिए नई ब्रिटिश नीति की घोषणा की। इस घोषणा के 7वीं पैराग्राफ में कहा गया था कि भारत में अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति खतरे में है अब इसे आगे और नहीं खींचा जा सकता है इसलिए ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण प्रभावी हाथों में सौंपने का इरादा करना चाहती है।[2] ब्रिटिश सरकार का कहना था कि दी गई निश्चित समय तक समझौता नहीं किया गया और एक संविधान का निर्माण नहीं किया गया तो वे सत्ता का हस्तांतरण उन पक्षों को करेंगे जो उन्हें ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होंगे।[3] माउंटबेटन को अपना मिशन पूरा करने के लिए भारत भेजा गया। उनका मिशन स्पष्ट था।[4] पहले युद्धरत दलों को एक–एक करके संयुक्त भारत छोड़ने का प्रयास करना। यदि सफलता नहीं मिली तो विभाजन के विकल्प पर विचार करना।[5] उन्हें भारत को राष्ट्रमंडल में बनाए रखने का भी निर्देश किया गया था।[6]

लॉर्ड वेवेल के ब्रिटेन लौटने तक भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ चुका था, भारत की स्थिति सोचनीयजनक थी। अंतरिम सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सुलह की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। माउंटबेटन 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी के साथ मुलाकात की, गांधी जी ने अपनी ओर से सुझाव दिया था कि जिन्ना को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए।[7] वायसराय के साथ अपनी दूसरी मुलाकात में गांधी जी ने यह कहा कि जिन्ना को अपने मंत्रियों को चुनने की छूट दी जानी चाहिए इसके अलावा जिन्ना चाहे तो लीग से और कांग्रेस के हमेशा के लिए गठबंधन बना सकते हैं।[8] गांधी जी ने यह भी कहा कि यदि जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो यह प्रस्ताव कांग्रेस को दिया जाना होगा।[9]

माउंटबेटन की लीग के साथ हुई वार्ताओं में कांग्रेस के साथ उसकी असंतोष का पता चला। 3 अप्रैल को लियाकत अली खान माउंटबेटन से मिले और कहा अंतरिम सरकार में कांग्रेस सदस्यों के साथ अपने व्यवहार के बाद मैंने महसूस किया की वह साथ काम करने के लिए बिल्कुल असंभव लोग है, इसमें समझौते और निष्पक्षता की कोई भावना नहीं है और बहुमत केवल उन तरीकों और साधनों के बारे में सोच रहे है जिसके द्वारा लीग को नीचा दिखाया जा सके।[10] माउंटबेटन की जिन्ना के साथ वार्ताओं में वे लगातार विभाजन की बात पर अड़े रहे।[11]

माउंटबेटन ने जिन्ना को एक संयुक्त भारत के विकल्प के लिए मनाने का प्रयास किया, जिसमें मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन जिन्ना हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया।[12]

प्रारंभ में कांग्रेस, विभाजन के विरोधी रही लेकिन अब इस बात से स्वीकार करने लगी की एक अखंड भारत का सपना टूट रहा है। नेहरू और पटेल जैसे नेताओं ने महसूस किया कि एक कमजोर केंद्र सरकार के साथ रहने से अच्छा है एक मजबूत केंद्र वाला भारत (हालांकि छोटा) स्वतंत्र हो। वे देश में फैली अराजकता को भी तुरंत समाप्त करना चाहते थे।[13]

हालांकि, गांधी जी के सभी प्रयास व्यर्थ गये, क्योंकि विभाजन का निर्णय लिया जा चुका था और इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा 1 मई को ही प्रदान कर दी गयी थी। उस बैठक में गांधीजी उपस्थित थे और उन्हे यह जानकर बहुत ही निराशा हुई की अब्दुल गफ्फार खान के अलावा किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया।[14]

यद्यपि लंदन से माउंटबेटन को प्राप्त जनादेश के अनुसार भारत की एकता बनाए रखने का पूरा प्रयास करने का था। भारत पहुँचने के कुछ ही दिनो के भीतर, जिस दौरान उनकी कई भारतीय नेताओं से मुलाकात हुई, उन्होंने इस कार्य की असंभवता को महसूस कर लिया। 31 मार्च तक वे प्रारंभिक विभाजन योजना के साथ तैयार हो जो अप्रैल के अंत तक पूरी तरह तैयार हो गयी। माउंटबेटन द्वारा 31 मार्च को अपनी छठी स्टाफ बैठक में पेश की गयी

विभाजन योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थीः

1. योजना का सार भारत का विभाजन था, जिसमें कुछ आरक्षित विषयों (जैसेः रक्षा, विदेश मामले, संचार) के लिए एक केंद्रिय प्राधिकरण की परिकल्पना की गयी थी। यह एक प्रायोगिक स्वरूप था जिसे निकट भविष्य में लागु किया जाना था।
2. इस विभाजन के परिणास्वरूप बनने वाले तीन इकाइयाँ होगीः
   - हिन्दुस्तान, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू बहुल प्रांत शामिल होंगे।
   - पाकिस्तान, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल प्रात शामिल होंगे।
   - देशी रियासतें (The States)।
3. इन तीनों इकाइयों को अधिराज्य का दर्जा (Dominion States) देने का प्रस्ताव था। बड़ी राज्यों को यह दर्जा स्वतंत्र रूप दिया जाना था, जबकि छोटी रियासतों को उचित आकार की इकाइयाँ बनाने के लिए आपस में सम्मिलत होना आवश्यक था।
4. पाकिस्तान के निर्माण के औचित्य के आधार पर ही, उन्हीं सिद्धांतो को लागू करते हुए, पंजाब और बंगाल प्रांत के विभाजन की बात की गयी।
5. इस योजना को मई 1947 के आस–पास लागू किया जाना था और इसे जून 1948 तक प्रायोगिक आधार पर चलाया जाना था।
6. इस केंद्रिय प्राधिकरण, जिसे 'केन्द्र सरकार' कहा जा सकता था, का कामकाज केवल उन आरक्षित विषयों तक सीमित होता जिनमें रक्षा, विदेश मामले संचार, खाद्य तथा इन सबके लिए धन उपलब्ध कराने हेतु वित्त शामिल थे।
7. केंद्रिय प्राधिकरण तथा हिनदुस्तान सरकार दोनों का मुख्यालय दिल्ली में स्थित होगा।
8. प्रत्येक आरक्षित विषय का प्रबंधन एक परिषद् बोर्ड द्वारा किया जाता, जिसमें हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होते।
9. इन आरक्षित विषयों पर वायसराय के पास वीटो (निषेधाधिकार) का अधिकार बरकरार रहता।
10. जून 1948 से लगभग तीन महीने पहले, यह फैसला किया जाना था कि उस तारीख के बाद इस केंद्रिय प्राधिकरण का अस्तित्व बना रहेगा या नही।[15]

कांग्रेस ने योजना को एक ''आवश्यक बुराई'' के रूप में स्वीकार किया। नेहरू ने इसे ''भारत की मुक्ति'' का आधार बताया, लेकिन साथ ही विभाजन के दर्द को भी व्यक्त किया। महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े विरोधी थे; उन्होंने कहा था कि ''देश का विभाजन उसके लाश पर होगा'' लेकिन अंततः उन्हें पार्टी के बहुमत निर्णय के आगे झुकना पड़ा।''[16]

सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सीरियल रेडक्लिल को अत्यंत कम समय में सीमा रेखा तय करनी थी। रेडक्लिल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी भारत का दौरा नहीं किया था। सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त के बाद हुआ, जिससे सीमा के दोनों ओर रह रहे लाखों लोग अपने–अपने देश में अल्पसंख्यक बन गए। इस पलायन और सांप्रदायिक हिंसा में 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और विभिन्न अनुमानों के अनुसार 2 लाख से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई।[17]

आलोचकों का कहना है कि माउंटबेटन ने अनावश्यक रूप से जल्दबाजी दिखाई। स्वतंत्रता की तिथि 1948 से घटाकर 1947 करना एक भारी भूल थी, जिसने देश की हालत को अराजकता में धकेल दिया इतिहासकार एन. जी. रंगा ने इसे ''शर्मनाक फुर्ती'' कहा है।

माउंटबेटन योजना की सबसे बड़ी विरासत भारत–पाकिस्तान का विभाजन, कश्मीर विवाद और दोनों देशों

के बीच चलने वाली स्थाई तनाव है। यह योजना धर्म के आधार पर राष्ट्र–निर्माण का एक खतरनाक उदाहरण बन गयी जिसकी छाया आज तक दक्षिण एशिया के राजनीति पर मंडरा रही है।

निष्कर्ष

माउंटबेटन योजना एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें न केवल भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई बल्कि इस भूभाग के इतिहास और भूगोल को अस्थाई रूप से परिवर्तित कर दिया। हालांकि इस योजना ने एक जटिल राजनीतिक गतिरोध तोड़ने और शासन की जिम्मेदारी भारतीय नेतृत्व को सौंपने में सफलता प्राप्त की, किंतु इसकी कीमत एक सशक्त रक्त रंजित और दर्दनाक विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी। यह योजना तत्कालीन राजनीतिक मजबूरी बढ़ाते सांप्रदायिक तनाव और औपनिवेशिक शासन की ''फूट डालो और शासन करो'' की नीति का एक परिणाम थी।

इस योजना को 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्विप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस योजना ने न केवल भारत की आजादी प्रशस्त किया, बल्कि इसने 3 महाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक तानेबाने को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया। यह योजना जटिल और बहुआयामी ऐतिहासिक घटना थी, जिसके साकारात्मक और नाकारात्मक दोनों प्रकार के दूरगामी परिणाम सामने आए।

माउंटबेटन योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि निर्विवाद रूप से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना थी। लार्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की तिथि को जून 1948 से आगे बढ़ाकर अगस्त 1947 कर दिया, जिससे देश को शीघ्र स्वतंत्रता मिली। यह निर्णय लंबे समय से चले आ रहे स्वतंत्रता संग्राम का तार्किक परिणाम था और इसने भारतीय जनमानस की स्वशासन की आकांक्षाओं को साकार किया।

योजना का सबसे विवादास्पद पहलू भारत के विभाजन की मंजूरी थी। माउंटबेटन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांगा को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल और पंजाब का बंटवारा हुआ। इस विभाजन ने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हिंसक पलायन को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ो लोग विस्थापित हुए। यह त्रासदी आज भी भारत–पाकिस्तान संबंधों पर छायी हुई है।

इस योजना में एक विरोधाभाषी तत्व था – एक ओर तो स्वतंत्रता में देरी हुई, वहीं दूसरी ओर अंतिम निर्णयों में अत्यधिक जल्दबाजी बरती गयी। रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण अविश्वसीय रूप से शीघ्रता से किया गया, जिसके लिए पर्याप्त शोध और जनसांख्यिकीय अध्ययन का अभाव रहा। यह जल्दबाजी ही विभाजन की हिंसा के प्रमुख कारणों में से एक थी।

माउंटबेटन योजना ने देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया। सरदार पटेल के कुशल नेतृतव में लगभग सभी रियासतों ने भारत में विलय का निर्णय लिया, जिससे एक एकीकृत भारत का निर्माण हुआ। यह योजना की एक महत्वपूर्ण सफलता थी जिसने भारत के राजनैतिक एकीकरण को सुनिश्चित किया। माउंटबेटन योजना की विरासत आज भी प्रासंगिक है। कश्मीर समस्या भारत–पाकिस्तान तनाव और सीमा पार मानवीय संकट – ये सभी इस योजना से उपजे मुद्दे हैं इसने यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए या फिर उन्होंने ''फूट डालो और राज करो'' की नीति का ही अनुसरण जारी रखा।

अंततः माउंटबेटन योजना को एक निश्चित विरासत के रूप में याद किया जाता है। एक ओर यह स्वतंत्रता का वाहक बनी, वहीं दूसरी ओर यह विभाजन और साम्प्रदायिक हिंसा की जनक साबित हुई। यह योजना औपनिवेशिक शासन की समाप्ति और नए राष्ट्रों के उदय के बीच का सेतु थी, लेकिन इसने जिस तरह से विभाजन को अंजाम दिया, वह आज तक विवाद का विषय बना हुआ है।

संदर्भ सुची

1. मैसर्ग, निकोलस, (संपा.) (1981) द ट्रांसफर ऑफ पावर 1942–47: द माउंटबेटन वायसरायल्टी: फॉरमेशन ऑफ ए प्लान, 22 मार्च – 30 मई 1947, हर मेजेस्टीस स्टेसनरी ऑफिस (HMSO) लंदन, वाल्यूम 10, पृ. 58।
2. मैनसर्ग निकोलस (संपा.) (1947) द ट्रांसफर ऑफ पावर 1942–47: द फिक्सिंग ऑफ टाइम लिमिट, 4 नवंबर 1946 – 22 मार्च 1947, वाल्यूम 9, पृ. 774।
3. वही।
4. महाजन, सुचेता (2000) *इंडिपेंडेंस एण्ड पार्टीशनः द इरोजन ऑफ कोलोनियल पावर इन इंडिया,* सेज पब्लिकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली, पृ. 177।
5. वही।
6. वही।
7. माउंटबेटन और गांधी के बीच साक्षात्कार का अभिलेख, 1 अप्रैल 1947।
8. मैसर्ग निकोलस (संपा.) (1981) द ट्रांसफर ऑफ पावर 1942–47: द माउंटबेटन वायसरायल्टी: फॉरमेशन ऑफ ए प्लान, 22 मार्च – 30 मई 1947, हर मेजेस्टीस स्टेसनरी ऑफिस (HMSO) लंदन, वाल्यूम 10, पृ. 69।
9. वही।
10. माउंटबेटन और लियाकत अली के रिकार्ड साक्षात्कार, 3 अप्रैल 1947।
11. जलाल आयशा (1985) द सोल स्पोकमैनः जिन्ना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पृ. 289।
12. वही।
13. चन्द्र, विपिन (1989) *इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस (1857–1947),* पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली, पृ. 444।
14. प्रसाद, विमल (1999) *पथवे टू इंडियाज पार्टीशनः द मार्च टू पाकिस्तान 1937–1947,* मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 535।
15. मैसर्ग, निकोलस (संपा.) (1981) द ट्रांसफर ऑफ पावर 1942–47: द माउंटबेटन वायसरायल्टी: फॉरमेशन ऑफ ए प्लान, 22 मार्च – 30 मई 1947, हर मेजेस्टीस स्टेसनरी ऑफिस (HMSO) लंदन, वाल्यूम 10, पृ. 49–50।
16. गांधी, एम. के. (1947) कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, 1947, पब्लिकेशन डिविजन, गर्वमेंट ऑफ इंडिया, वाल्यूम 88।
17. खान, यास्मिन (2007) *द ग्रेट पार्टीशनः द मेकिंग ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान,* येल यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पृ. 91।

****